

### प्रारूप - 3

प्रारूप 1 (अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र  
अनुभाग ----- जिला ----- मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक .....  
प्रमाण पत्र क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक .....

### जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पिता/पति का नाम ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य और इस जाति/  
जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341 के अधीन म.प्र. राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप  
में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/ जनजाति  
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत म.प्र. की सूची में अनुक्रमांक .....  
..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पिता/पति का  
नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

टिप्पणी :- 1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट म.प्र. राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट म.प्र. राज्य से संबंधित जनजाति।  
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।  
यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्रक के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।